कार्यालय-छात्र कल्याण अधिष्ठाता
(चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ)

पत्रांकः DSW/ NET Pass Ph.D Scholarship-2021/2425
दिनांकः 21.09.2021

विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 मे विश्वविद्यालय परिसर के शैक्षणिक विभागों एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में नेट उत्तीर्ण होने के साथ विश्वविद्यालय द्वारा आर०डी०सी० की संस्तुति के उपरान्त पी०–एच०डी० में पंजीकृत है एवं अध्ययनरत हैं तथा सभी श्रोतो से पारिवारिक वार्षिक आय रु0 5 लाख से कम है उन शोधार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा रु0 3000/– प्रतिमाह की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन–पत्र आंमन्त्रित किये जा रहे हैं। छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, आवेदन–पत्र एवं शपथ पत्र प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध है। यह छात्रवृत्ति 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के लिये देय है अर्थात विश्वविद्यालय द्वारा जिन छात्र/छात्राओ की आर०डी०सी० दिनांक 31 मार्च 2021 से पहले की है वे ही अभ्यर्थी अर्ह होगें।

अतः उक्त योग्यता व शर्ते पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन–पत्र (दिये गये प्रारूप पर) सभी संलग्नकों सहित (विश्वद्यालय परिसर मे अध्ययनरत छात्र/छात्रा अपने विभागाध्यक्ष एवं सुपरवाइजर से तथा महाविद्यालय मे अध्ययनरत छात्र/छात्रा अपने सुपरवाइजर एवं प्राचार्य/प्राचार्या से) अग्रसारित कराकर छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ मे स्वयं उपस्थित होकर जमा करा सकते है। जिससे आवेदन मे यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसी समय सुधार किया जा सके। कार्यालय में आवेदन–पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 13.10.2021 है। उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

छात्रवृत्ति हेतु अर्ह पाए गये अभ्यर्थियों की सूची अक्टूबर माह में विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

संलग्नकः–
1. छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियम की प्रति।
2. छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र का प्रारूप।
3. अण्डरटेकिंग शपथ पत्र प्रारूप।

21/9/2021
छात्र कल्याण अधिष्ठाता

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रतिकुलपति को प्रतिकुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित करने का कष्ट करें।
5. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
6. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
7. सहायक कुलसचिव (लेखा/विकास/शोध पंजीयन), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

21/9/2021
छात्र कल्याण अधिष्ठाता

OFFICE OF THE DEAN STUDENTS' WELFARE
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

Proforma for Scholarship of Rs. 3000/- Per Month to NET Passed Ph.D. Enrolled Candidates (having family income less then 5.00 Lac per year) of Ch. Charan Singh University Campus / Affiliated Colleges

Name of University Campus Department / College --

Name of Student :

Father's / Husband's Name :

Date of Birth :

Category :

Address for Correspondence :

Mobile No. :

Email Address :

Subject :

Date of Ph.D. Registration (RDC)

Bank Name & Address :

Bank Account No. :

I FSC Code No. :

Academic record

Photo Attested by HOD of University Campus Teaching Department/ College of the Principal

Examination passed	Year	Div.	%	Subjects	School/College	Board/University
Intermediate						
B.A/B.Sc/B.Sc.Ag/B.Com						
M.A/M.Sc/M.Sc.Ag/M.Com						
Any Other						

Essential Enclosures :

(1) Attested Copy of RDC letter

(2) Copy of Bank Pass Book

(3) Copy of NET Certificate

(4) Family Income Certificate from Competent Authority

(5) Copy of Cast Certificate from Competent Authority

(6) Copy of Undertaking for not in any Government Service/not in any Job/not holding any office of profit.

Signature of Candidate

Countersigned by HOD and Supervisor of University Campus Teaching Department/ Supervisor and Principal of the College

(Supervisor) **(Head / Principal)**

Undertaking for not in any Government Service/ not in any Job/not holding any office of profit.

शपथ पत्र रू0 10/–के स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी से सत्यापित हो, आवेदन के साथ संलग्न करना है।

घोषणा पत्र

श्रीमान सक्षम अधिकारी कुलसचिव/ अधिष्ठाता छात्र कल्याण चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ।

1. यह कि मै शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा नाम–––––– पिता/पति का नाम––––––हालपता––जिला––––राज्य ––– का निवासी हूँ।
2. यह कि मैने यू0जी0सी0 नेट की परीक्षा वर्ष –– मे विषय ––से उत्तीर्ण की है।
3. यह कि मै विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय संस्था का नाम–––– विभाग –– मे अध्ययनरत हूँ। विश्वविद्यालय द्वारा मेरा आर0डी0सी0 दिनांक–––को होने के उपरान्त सुपरवाइजर का नाम––– के निर्देशन मे दिनांक–– से मै नियमित रूप से पी0एच0डी0 कर रहा हूँ। तथा मेरे माता/पिता अथवा अभिभावक की सभी श्रोतो से वार्षिक आय रू0 5 लाख से कम है का प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. यह कि मै पी0एच0डी0 करने के समय मे किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था मे कार्यरत नही हूँ और नही किसी पद का लाभ ले रहा हूँ तथा मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नही हो रही है।
5. यह कि शपथ पत्र मे मेरे द्वारा लिखे गये सभी कथन मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास मे है। यदि कोइ तथ्य गलत पाया जाता है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाये जिससे मुझे कोई आपत्ति नही होगी और विश्वविद्यालय द्वारा जो भी कार्यवाही की जायेगी, का उत्तरदायी स्वयं मेरी होगा।
6. यह कि मेरे द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु बैंक का विवरण निम्नलिखित है–
7. बैंक का नाम एवं पता–
8. खाता संख्या–
9. आई एफ एस सी कोड–
10. मोबाइल नम्बर–

छात्र/ छात्रा का पूरा नाम एवं पता

हस्ताक्षर

मोबाइल नम्बर

कार्यालय-छात्र कल्याण अधिष्ठाता
(चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ)

विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों से नेट उत्तीर्ण व पी–एच०डी० में पंजीकृत ऐसे विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 5 लाख से कम है को रु0 3000/– प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दिये जाने सम्बन्धी नियम।

1. यह छात्रवृत्ति उन्हीं शोध छात्रों को प्रदान की जायेगी जो नेट उत्तीर्ण होने के साथ विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालयों में आर०डी०सी० की संस्तुति के उपरान्त शोधार्थी के रूप में पंजीकृत हैं। साथ ही उनके परिवार की सभी श्रोतों से वार्षिक आय रु0 5.00 लाख से अधिक नहीं है।

2. इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु इच्छुक शोधार्थी अपने प्रत्यावेदन निर्धारित प्रारूप पर वांछित संलग्नकों सहित (शैक्षिक योग्यता, नेट सर्टिफिकेट, शोध पंजीकरण पत्र, आय प्रमाण–पत्र इत्यादि) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्राचार्य से संस्तुति कराकर निर्धारित तिथि तक छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।

3. यह छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के अनुसार देय होगी। यह शोध छात्रवृत्ति 1 अप्रैल 2020 से दी जा रही है।

4. यह छात्रवृत्ति अधिकतम 2 वर्षों (24 माह) तक देय होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी थीसिस इससे पहले जमा कर देता है तो उसकी छात्रवृत्ति उसी तिथि से समाप्त हो जायेगी।

5. यदि कोई अभ्यर्थी छात्रवृत्ति के दौरान नौकरी प्राप्त कर लेता है तो इसकी तत्काल सूचना देने का दायित्व शोधार्थी का होगा व उसकी छात्रवृत्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

6. अभ्यर्थी के कार्य के सम्बन्ध में यदि उसके शोध निर्देशक/विभागाध्यक्ष (परिसर के शैक्षणिक विभाग)/प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा कोई असन्तोषजनक आख्या प्राप्त होती है तो उसकी छात्रवृत्ति समाप्त करने पर विचार किया जायेगा।

7. छात्रवृत्ति के दौरान शोधार्थी किसी प्रकार के अन्य "Remunerative" कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए। शोधार्थी इस आशय का प्रमाण–पत्र अपने शोध पर्यवेक्षक एवं विभागाध्यक्ष से (परिसर के शैक्षणिक विभाग)/ शोध पर्यवेक्षक एवं प्राचार्य/प्राचार्या से कालेज के विद्यार्थी प्रमाणित कराकर उपलब्ध करायेगा।

8. इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले शोधार्थियों की निर्धारित उपस्थिति सम्बन्धित विभाग में अनिवार्य होगी।

9. इस छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिसूचना छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में प्रकाशित की जायेगी तथा वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन–पत्र प्रारूप (प्रारूप संलग्न) पर प्रस्तुत आवेदनों पर नियमानुसार विचार के साथ अर्ह अभ्यर्थियों की सूची मार्च माह के द्वितीय सप्ताह में प्रकाशित की जायेगी व उसी वर्ष अप्रैल माह से लागू होगी।

10. यह सूची कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा विकास विभाग को प्रेषित कर दी जायेगी, जिससे उनके बिल केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पारित हो व भुगतान हो।